तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/8/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 461 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण रास्ता कायम करना चाहते है। किसी तीसरे अन्य व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की शह पर प्रार्थी की भूमि के पेड काट दिए है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर लगे हुए पेड–पोधौं को सुरक्षित करवाने का हक व अधिकार है अप्रार्थीगण को प्रार्थी की भूमि पर सडक निर्माण नहीं करवाने व पेड–पोधौं को नष्ट नहीं करने की निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि इन्होंने धारा 109 का दो माह का वैधानिक नोटिस दिए बिना ही दावा पेश कर दिया है। इनके वादपत्र में भी नोटिस की प्रति नहीं है। हम ग्राम पंचायत प्रतिनिधि व कर्मचारी हैं ग्राम के विकास कार्यो का हमें अधिकार है। ग्राम की आबादी भूमि में से अतिक्रमण हटाने का अधिकार हमें प्राप्त है। तीसरे व्यक्ति से हमें कोई सरोकार नहीं है। इनके द्वारा हमसे व्यक्तिगत रंजिस होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। हम केवल आबादी भूमि में ही कार्य कर रहे है। इनको प्रार्थना पत्र वैधानिक प्रक्रिया अनुसार नहीं होने से खारिज किया जावे। पुनः वकील अप्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि ये व्यक्तिगत रूप से दखलंदाजी कर रहे है। धारा 109 के नोटिस की बाध्यता जब है जब संस्था के खिलाफ वाद पेश किया जावे। हम अपनी खातेदारी भूमि को सुरक्षित करवाने आए है, जो कि आबादी भूमि से बाहर है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इनको पाबंद किया जावे। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 255 के खसरा नम्बरान 461, 469, 470, 477, 478 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6349 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव प0म0 धाबाईयों का नयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :– <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 255 के खसरा नम्बरान 461, 469, 470, 477, 478 कुल किता 5 कुल	
उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली		

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

रकबा 1.6349 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव प0म0 धाबाईयों का नयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खाता संख्या 255 के खसरा नम्बरान 461, 469, 470, 477, 478 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6349 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव प0म0 धाबाईयों का नयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड होने से व उस पर खातेदार की हैसियत से काबिज काश्त होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बन रहा है।

अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 255 के खसरा नम्बरान 461, 469, 470, 477, 478 कुल किता 5 कुल रकबा 1.6349 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव प0म0 धाबाईयों का नयागांव में स्थित है, जो कि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, पर अप्रार्थीगण द्वारा ग्रेवल सडक निर्माण करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थी के हक में बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 255 के खसरा नम्बर 461 रकबा 0.5908 हैक्टेयर वाके ग्राम धाबाईयों का नयागांव प0म0 धाबाईयों का नयागांव पर पुराने ग्रेवल सडक के अलावा मनरेगा के तहत नवीन ग्रेवल सडक का निर्माण नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौली